प्रकरण संख्या :—110/2019

वादी

लक्ष्मणकुमार पुत्र पुरखाराम
जाति कलबी निवासी सोढों की ढाणी रतनपुरा
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पुरखाराम पुत्र पदमाराम
2. हरदाराम पुत्र पदमाराम
3. दौलाराम पुत्र पदमाराम
4. पीराराम पुत्र मगाराम फौत के का0मु0
   4/1 हाजाराम पुत्र पीराराम
5. नारणाराम पुत्र मगाराम फौत के का0मु0
   5/1 गीगाराम पुत्र नारणाराम
   5/2 दुरगाराम पुत्र नारणाराम
   जाति कलबी निवासी सोढों की ढाणी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. गोकल गौशाला सेवा समिति खारवा बजरिये सचिव सावलाराम सोढों की ढाणी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
7. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
8. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—

1. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता वादी

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 13/09/19

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 स.प. धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु ... शासित होते है।

वादी व प्रतिवादी संख्या ... व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा सोढों की ढा... में खेत खसरा नम्... रकबा 44—00 बीघा, मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 326 रकबा 30—06 बीघा, खसरा नम्बर 379 रकबा 21—04 बीघा, खसरा नम्बर 388 रकबा 0—12 बीघा, मौजा गाडरियों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 149 रकबा ... रकबा 12—10 बीघा, मौजा रतनपुरा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:05:39 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/09/19	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा [illegible] पेश किया तफ. क्रां. 5/1 व 5/2 की ओर से वकील प्रतिवादी द्वारा वकालातनामा व इकबाली जवाब पेश किया। वकील वादी द्वारा वादी की साक्ष्य में वादी स्वयं [illegible] को उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजात एग्जीबिट करवाये गये। वकील वादी ने साक्ष्य कराना नहीं चाहते है। तथा वकील प्रतिवादी इकबाली जवाब होने से प्रतिवादी साक्ष्य कराना नहीं चाहते है। बहस सुनी गयी। निर्णय खुले में लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:05:39 IST
Reason: SelfAttested